

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य- 02/2025

दिनांक 02/02/2025

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या: वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720, दिनांक: जून 04, 2020 व पत्र संख्या: 41/6-पु-3/2020, दिनांक: 04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 01.02.2025 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’

दिनांक 01.02.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मरदह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 132/1993 धारा 147/323/325/504/506/342/218/220/120बी भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 04 नफर अभियुक्तगण

- 1 . सुदामा यादव पुत्र स्व0 रामलखन नि0 शाहगंज जनपद सुल्तानपुर
- 2 . इशनारायण पुत्र प्यारेलाल नि0 असावर थाना करीमउद्दीनपुर
- 3 . धर्मदेव तिवारी पुत्र स्व0 भुवनेश्वर प्रसाद नि0 सोनवसा थाना मईल जनपद देवारिया
- 4 . भीमसेन पुत्र स्व0 लालमुनी नि0 सोनवसा थाना मईल जनपद देवारिया के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 323 भादवि में 03 माह का साधारण कारावास व 1000/- रू0 का अर्थदण्ड , धारा 325/149 भादवि में 03 वर्ष का साधारण कारावास व 20000/- रू0 अर्थदण्ड धारा 504 भादवि में 04 माह का कारावास व 2000/- रू0 का अर्थदण्ड , धारा 506 भादवि में 06 माह का साधारण कारावास व 2500/-रू0 का अर्थदण्ड , धारा 342 भादवि में 03 माह के साधारण कारावास व 1000/-रू0 अर्थदण्ड , से दण्डित किया गया ।

02. श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’

दिनांक 01.02.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 38/17 धारा 354क,452,323,5204,506(2) भादवि व 3/4,7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त 1. अभय कुमार उर्फ पंडित कश्यप पुत्र अर्जुन कश्यप निवासी ओधऊ पट्टी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त उपरोक्त को धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि0 में 4 वर्ष का कारावास तथा 10000/- रु0 का अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में 06 माह का कारावास, धारा 506(2) भादवि में 01 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया।

**पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर**